आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

F.S.S.A. Case No. 02/2018-19

सरकार बनाम पप्पु साव

25.6.19

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी–सह– अभिहित पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक–13/खाद्य, दिनांक–24.01.2019 के आलोक में दायर है।

दिनांक–25.10.2018 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा पप्पु साव, गणपत चौक, करमाटाँड, जिला–जामताड़ा के स्वीट सॉप, से रसगुल्ला के 250gm के चार पैकेट दो गवाह के समक्ष खरीदा गया एवं इसे साफ सुथरा शिशि में बन्द करके सील मोहर लगा दिया गया। नमुना को कोड सं०– JMT/005/18-19 अंकित किया गया। इसकी सूचना प्रपत्र- VA में निर्गत कर निष्पक्ष गवाह के समक्ष दिनांक–25.10.2018 को पप्पु साव को तामिला किया गया। उक्त नमुना के विश्लेषण हेतु Food Analyst, State Food Testing Laboratory Namkum, Ranchi भेजा गया। State Food Laboratory Namkun, Ranchi में रसगुल्ले के नमुना का दिनांक–30.10.2018 से 06.11.2018 तक जाँच किया गया। राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला नामकुम, राँची के खाद्य विश्लेषक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन Report No. CM; 370/FSSAI/2018 के अनुसार नमुना में दुध के वजाय अन्य वसा पाये जाने एवं इसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के धारा– 3(1) (zf)A(i) के तहत Misbranded प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी–सह– अभिहित पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक–13/खाद्य, दिनांक– 24.01.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर रसगुल्ले के नमुने को Food Safety & Slandered Act. 2006 के धारा– 3(1) (zf)(A)(i) के तहत दोषी करार करते हुए, धारा– 52(1) के तहत दण्डित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस वाद में विपक्षी को कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु सूचना का तामिला किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विपक्षी को एक छोटा सा मिठाई का दुकान है। वे गरीब है। वे गाँव–देहात से प्राप्त दुध से छेना बनाकर अपने हाथ से रसगुल्ला बनाते है। रसगुल्ला के विभिन्न तत्व को मापने के लिए उसके पास कोई यंत्र नहीं है। खाद्य विश्लेषण के द्वारा दिये गये विश्लेषण प्रतिवेदन में दुध वसा 45.5 पाया गया। जबकि वसा का मानक प्रारूप (40–43) B.R. Reading of Milk fat है। विपक्षी द्वारा क्षमा याचना करते हुए दण्डित नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। नमूना का संग्रह एवं विश्लेषण हेतु अपनाये गये विधि एवं प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संगत धाराओं के अंतर्गत है।

विपक्षी/कारबारकर्त्ता के द्वारा बनाये गये रसगुल्ले के नमुने में दुध के वजाय अधिक वसा पाया गया। इस प्रकार उनके द्वारा Food Safety & Slandered Act. 2006 के धारा– 3(1) (zf)(A)(i) का उलंघन किया गया।

अतः विपक्षी/कारबारकर्त्ता पप्पु साव, पिता– मन्नु साव, ग्राम–करमाटाँड़, जिला–जामताड़ा को F.S.S.A. 2006 के धारा– 3(1) (zf)(A)(i) का दोषी पाये जाने के आरोप में F.S.S.A. 2006 के Sec- 52(1) के तहत 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र का जुर्माना के रूप में दण्डित किया जाता है एवं कारबारकर्त्ता कड़ी चेतावनी के साथ सलाह दिया जाता है कि वे भविष्य में इस प्रकार के कारबार न करें।

जिला नजारत जामताड़ा के नाजीर रसीद सं० JE/02 200547 दिनांक 24.9.19 द्वारा निर्गत रसीद का नजीर छायाप्रति संलग्न है।
24.9.19

DB/41

ह०/ 25/6/19

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Scanned with CamScanner